न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 98 दायर दिनांक : 10.06.2014

1. श्रीमती सर्वजीतकौर पत्नी जोगेन्दर सिंह पुत्री स्व. अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 196 हैड (चक 1 जी.एम.डी.) घमण्डिया हाल आबाद वार्ड सं. 04, सूरतगढ़
2. श्रीमती कर्णजीत कौर पत्नी बलकार सिंह पुत्री स्व. अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 196 हैड (चक 1 जी.एम.डी.) घमण्डिया हाल आबाद वार्ड सं. 04, सूरतगढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 196 हैड (चक 1 जी.एम.डी. ढ़ाणी) घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये भू—प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 17.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में पूर्व में तर्क सुने जा चुके हैं। निर्णयार्थ प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा वाद वास्ते खाता विभाजन अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वाद के साथ ही प्रार्थना—पत्र वास्ते लगाये जाने नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवर कायम करने वाद अंकित भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के चलन के दौरान ही प्रार्थी संख्या 2 ने अपना प्रार्थना–पत्र विड्रा (withdraw) कर लिया व प्रार्थना–पत्र मात्र प्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक ही विचारण में रहा। प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के पिता अजमेरसिंह पुत्र कानसिंह के नाम से चक 1 जी.एम.डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 2/5 के पत्थर नं. 71/320 (15) के किला नं. 6 ता 10 = 1.265 है0, पत्थर नं. 70/320 (16) के किला नं. 11/2 में 0.228 है0, 12 ता 15/1.012 है0, 16/2 में 0.126 है0, 17 ता 19/0.759 है0, 20/2 में 0.228 है0 = 2.353 है0, कुल 3.618 है0 कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। अजमेरसिंह की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस जो सात थे, उक्त भूमि के प्रत्येक बहिस्सा बराबर हकदार हुए जिसके अनुसार प्रार्थीया का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा अर्थात 0.336 है0 अंकित जमाबन्दी में बनता है। प्रार्थीया द्वारा खाता विभाजन का दावा पेश कर वाद चलन के दौरान प्रार्थीया ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आर.टी.ए. अपने हिस्से को अप्रार्थी द्वारा काश्त करने के बदले में 20,000/–रू. प्रति बीघा प्रति वर्ष की नकद प्रतिभूति खजाना राज में जमा करवाने व प्रतिभूति ना जमा करवाने पर अप्रार्थी सं. 2 को उक्त भूमि का रिसीवर नियुक्त करने की मांग की।

प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण को तलब कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु बार–बार समय देने पर भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए अन्त में अप्रार्थी का जवाब बन्द कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीया के पिता के नाम से चक 1 जी.एम. डी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 2/5 के पत्थर नं. 71/320 (15) के किला नं. 6 ता 10 = 1.265 है0, पत्थर नं. 70/320 (16) के किला नं. 11/2 में 0.228 है0, 12 ता 15/1.012 है0,

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

16/2 में 0.126 है0, 17 ता 19/0.759 है0, 20/2 में 0.228 है0 = 2.353 है0, कुल 3.618 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। पिता अजमेरसिंह के फौत होने पर उनके वारिस, जिसमें प्रार्थीया भी शामिल है, प्रत्येक 1/7 हिस्सा के बहिस्सा बराबर के खातेदार बने। प्रार्थीया उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा अर्थात 0.517 है0 की खातेदार अंकित है। खाता विभाजन का वाद जैरकार रहते अप्रार्थी उसके हिस्से पर काबिज हैं, इसलिए वाद निर्णय तक प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि काश्त करने के प्रतिफल की सुरक्षा हेतु नकद प्रतिभूति कायम करवाने की अधिकारिणी बताई। प्रार्थीया का प्राथमिक रूप से मामला बनना बताते हुए, अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में बताकर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार करने की प्रार्थना की व निवेदन किया कि यदि अप्रार्थी सं. 1 नकद प्रतिभूति जमा नहीं करवाये तब उसके हिस्से की 0.517 है0 भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 को रिसीवर नियुक्त किया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में न्याय निर्णय आर.आर.डी. 1995 पेज सं. 76 प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीया का भूमि में हक बनता है व प्रार्थीया की भूमि पर अप्रार्थी काश्त कर रहा है, इस हेतु वह बराबर रकम ले जा रही है। प्रार्थीया का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता। मात्र अप्रार्थी को हैरान–परेशान करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना बताते हुए प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया व मनन करने के पश्चात् यह पाया गया कि प्रार्थीया चक 1 जी.एम.डी. के पत्थर नं. 71/320 (15) की 1.265 है0, पत्थर नं. 70/320 (16) की 2.353 है0, कुल 3.618 है0 कमाण्ड भूमि में 1/7 हिस्सा अर्थात 0.517 है0 की खातेदार है व उक्त भूमि में से 0.517 है0 भूमि को काश्त करने का अधिकार रखती है, किन्तु उसका हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबरन काश्त किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 किसी प्रकार का प्रतिफल प्रार्थीया को प्रदान कर रहा है, ऐसा प्रकट नहीं हो रहा। प्रार्थीया औरतजात है, उसके हितों की सुरक्षा राज्य द्वारा की जावे, यह

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रार्थीया का प्राथमिक रूप से मामला बनता है। सुविधा व सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आर.आर.डी. 1995 पेज सं. 76 इस मामले में पूर्ण रूप से चस्पा होता है। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्याय अनुकूल प्रतीत होता है कि प्रार्थीया के हिस्से को काश्त करने हेतु नकद प्रतिभूति अप्रार्थी सं. 1 से वसूल कर खजाना राज में जमा करवायी जावे। वाद चलन के दौरान अप्रार्थी नाजायज लाभ ना प्राप्त कर सके व प्रार्थीया के जायज हितों की सुरक्षा हो सके। इसी दृष्टि से विचारण करने पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया सर्वजीतकौर स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी 196 हैड (चक 1 जी.एम.डी. ढ़ाणी) घमण्डिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वो श्रीमती सर्वजीतकौर के नाम अंकित 0.517 है0 भूमि को काश्त करने हेतु 20,000/–रू. प्रति बीघा प्रति वर्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 10.06.2014 से अन्दर योम पन्द्रह दिवस आदेश की तारीख से खजाना राज में जमा करवाये। यह राशि प्रति वर्ष वाद चलन के दौरान जमा की जावे। यदि वह इसमें असफल रहता है तो चक 1 जी.एम.डी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 71/320 (15) के किला नं. 7/0.011 है0, 9–10/0.506 है0 = 0.517 है0 कमाण्ड भूमि का तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। बाद लेने भूमि बतौर रिसीवर तहसीलदार काश्त की व्यवस्था करवाये। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.20 17:06:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: